


मुंबई पत्तन प्राधिकरण
पेंशन निधि न्यास



**MUMBAI PORT AUTHORITY
PENSION FUND TRUST**

प्रशासन रिपोर्ट
ADMINISTRATION REPORT

और / and

वार्षिक लेखा

ANNUAL ACCOUNTS

2021-2022

और /and

उसपर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

THE AUDIT REPORT THEREON


वर्ष 2021-2022 की रिपोर्ट में अंतर्निहित लेखापरीक्षा संबंधी
आपत्तियों/अवलोकनों आदि पर की गयी कार्रवाई के विवरण सहित

**WITH ACTION TAKEN NOTES ON AUDIT
OBJECTIONS/OBSERVATIONS CONTAINED
IN THE REPORT FOR THE YEAR 2021-2022**

अनुक्रमणिका / INDEX

विषय सूची / CONTENTS	पृष्ठ क्र Page Nos
प्रशासन रिपोर्ट 2021-22 Administration Report 2021-22	1-14
31 मार्च 2022 का तुलन पत्र Balance sheet as on 31st March 2022	15
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 2022.	16
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियाँ और भुगतान Receipt and Payments for the year ended 31st March 2022	17-18
31 मार्च 2022 के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ Schedules to balance sheet as on 31st March 2022.	19-23
लेखा पर टिप्पणियाँ - 31 मार्च 2022 Notes on Accounts - 31st March 2022	24-32
दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पतन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के लेखा पर की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट Audit Report on the Accounts of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust for the Year ended 31st March 2022.	33-42
दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पतन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही नोट. Action taken notes on the Audit Report on the Accounts of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust for the Year ended 31st March 2022.	42-51

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
पेंशन निधि न्यास




**MUMBAI PORT AUTHORITY
PENSION FUND TRUST**

प्रशासन रिपोर्ट

2021-2022

ADMINISTRATION REPORT

2021-2022



न्यासी मंडल
मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास
TRUSTEES OF MbPA PENSION FUND TRUST

अध्यक्ष, मुंबई पत्तन प्राधिकरण CHAIRMAN, MBPA	राजीव जलोटा RAJIV JALOTA
उपाध्यक्ष, मुंबई पत्तन प्राधिकरण DY. CHAIRMAN, MBPA	आदेश तितरमारे ADESH TITARMARE
उप संरक्षक, मुंबई पत्तन प्राधिकरण (वि.स.और मु.ले.अ के सांविधिक अधिकार के साथ) (सचिव और संयोजक) DY. CONSERVATOR, MBPA (WITH STATUTORY POWER OF FA&CAO) (SECRETARY & CONVENER)	कैप्टन भबतोष चंद CAPT. BHABATOSH CHAND
सचिव, मुंबई पत्तन प्राधिकरण SECRETARY, MBPA	यु.आर. मोहन राजु U.R. MOHAN RAJU
श्रमिकों के प्रतिनिधित्व कर रहे न्यासी TRUSTEE REPRESENTING LABOUR	श्रीमती कल्पना देसाई SMT. KAPLANA DESAI
श्रमिकों के प्रतिनिधित्व कर रहे न्यासी TRUSTEE REPRESENTING LABOUR	दत्तात्रय खेसे DATTATRAYA KHESE

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास

प्रशासन रिपोर्ट 2021-22

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास की प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ.

न्यास के निर्माण की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान न्यास का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

मुं.प.प्रा. पेंशन विश्वास की स्थापना (मुपप्रापेफं) :

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मु.प. प्रा. (पेंशन निधि) विनियम तैयार किए गए. मु.प. प्रा. (पेंशन निधि) विनियम, 2004 के अनुसार मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास' के प्रथम न्यासियों के रूप में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सचिव और दो श्रम न्यासियों को नामित कर पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए एक अपरिवर्तनीय न्यास का सृजन किया गया. मुंबई पत्तन के न्यासी मंडल और पेंशन निधि न्यास के प्रथम न्यासियों के बीच दि.14.1.2004 को हुए न्यास विलेख के निष्पादन से मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास अस्तित्व में आया.

2. मुं.प. प्रा. पेंशन फंड ट्रस्ट को मान्यता :

आयकर आयुक्त क्षेत्र 12(1), मुंबई ने आयकर अधिनियम 1961 की अनुसूची IV के भाग बी के नियम 2(1) के अधीन उन्हें सौंपे गए अधिकारों के अनुसार दि. 1.3.2004 के आदेश क्र. सीआयटी 12/पेंशन फंड/ 2003-04 द्वारा मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास को अनुमोदन प्रदान किया था. मंत्रालय ने उनके दि. 6.4.2004 के पत्र द्वारा न्यास को अनुमोदन सूचित किया और दि. 21 मई 2004 के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गयी.

3. मुं.प. प्रा. पेंशन फंड ट्रस्ट के नामकरण में बदलाव को मंजूरी :

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 को एक तारीख के रूप में नियुक्त किया है, जिस दिन प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 का प्रावधान लागू हुआ था. जिसे दिनांक 29.10.2021 को राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4504 (ई) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था. तदनुसार 03.11.2021 से बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021, प्रभावी हुआ. इसके बाद मंत्रालय ने दिनांक 31.01.2022 की राजपत्र अधिसूचना के तहत महापत्तन प्राधिकरणों के पहले न्यासी मंडल का गठन किया. तदनुसार, मुंबई पत्तन प्राधिकरण के सदस्यों के न्यासी मंडल ने संकल्प संख्या 02 दिनांक 15.02.2022 के माध्यम से दिनांक 31.01.2022 यानी राजपत्र अधिसूचना की तिथि से "मुंबई पोर्ट ट्रस्ट" के नाम को "मुंबई पोर्ट अथॉरिटी" के रूप में बदलने की मंजूरी दे दी.

उपरोक्त का अनुपालन करने के लिए, एमबीपीएपीएफटी के ट्रस्टियों ने अपने संकल्प संख्या 02 दिनांक 12.05.2022 के माध्यम से मुंबई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास (एमबीपीटीपीएफटी) के नाम को मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास' (एमबीपीएपीएफटी) के रूप में बदलने की मंजूरी दे दी है.

4. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निधि प्रबंधन :

दि. 29.3.2004 के न्यासी मंडल की संकल्प संख्या 48 के अनुसार आयकर नियम, 1962 के नियम 89 के अनुपालन में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआयसी) को पेंशन निधि के प्रबंधन हेतु निधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है. प्रत्येक वर्ष में वर्तमान तथा भविष्य के पेंशनरों के प्रति पेंशन देयता का भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन कर परिकलन किया जाता है. इस वित्तीय वर्ष के दौरान मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा रु 565.00 करोड़ की राशि भा.जी.बी.नि. के साथ निवेश की गई. दि. 31.3.2022 को भा.जी.बी.नि. के साथ कुल निवेश रु. 8948.20 करोड़ है, जब कि दि. 31.3.2021 को यह रु. 8785.14 करोड़ था. भा.जी.बी.नि. ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 7.79% की दर से ब्याज घोषित किया है. भा.जी.बी.नि. द्वारा घोषित प्रतिलाभ में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7.70% से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7.79% की बढ़ोतरी आयी है. 8785.14 करोड़ रुपये के निवेश पर उपार्जित 677.06 करोड़ रुपये ब्याज की राशि है.

5. बीमांकिक मूल्यांकन :

प्रत्येक वर्ष वर्तमान कर्मचारी और पेंशनरों की जानकारी भा.जी.बी.नि. को भेजी जाती है और बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भा.जी.बी.नि. ने वर्तमान पेंशनरों के प्रति रु. 8873.66 करोड़ और भविष्यकालीन पेंशनरों अर्थात् वर्तमान कर्मचारियों के प्रति रु. 4450.00 करोड़, कुल मिलाकर रु. 13323.66 करोड़ की कुल बीमांकिक देयता का परिकलन किया है. यह मूल्यांकन 6% के दर से वेतन में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर किया गया है.

6. मुंबई पत्तन प्राधिकरण से अंशदान :

ऐसी बीमांकिक देयता के आधार पर और मुंबई पत्तन प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2004 में दिए गए मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि न्यास को वार्षिक अंशदान करके अंतर को मिटाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है. वर्ष के दौरान मुंबई पत्तन प्राधिकरण (मुपप्रा) ने मुपप्रा पेंशन निधि न्यास में रु. 565.00 करोड़ का अंशदान किया जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 419.35 करोड़ का अंशदान किया था.

7. मासिक पेंशन भुगतान हेतु भा. जी. बी. नि. के साथ पेंशन फंड के निवेश की मूल धनराशि तथा उसपर अर्जित व्याज की निकासी.

घटते नकदी प्रवाह को देखते हुए भा.जी.बी.नि. के साथ पेंशन निधि के निवेश पर उपार्जित ब्याज से निकासी करके मासिक पेंशन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भा.जी.बी.नि.नं. 7.70% का व्याजदर चेषित किया था, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 7.00% का व्याजदर अनुमानित था. वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गई रु 565.00 करोड़ की राशि निवेश और रु 615.00 करोड़ राशि के अनुमानित प्राप्त व्याज ध्यान में लेते हुए, रु 1079.00 करोड़ की राशि मासिक पेंशन भुगतान हेतु भा. जी. बी. नि. के साथ निवेश पर व्याज से वर्ष के दौरान निकाली गयी..

8. निधि की स्थिति :

दि. 31.3.2022 को निधि शेष रु. 8955.34 करोड है जब कि दि. 31.3.2021 को रु.8719.34 करोड थी. रु.13323.66 करोड का बीमांकिक मूल्यांकन तथा रु.8955.34 करोड की संग्रहित निधि को ध्यान में रखते हुए निधि में रु. 4368.32 करोड तक की कमी है, यह कमी आनेवाले कुछ वर्षों में राजस्व की उपलब्धता होने पर पूरी होने की अपेक्षा है,

9. वित्तीय स्थिति :

वर्ष के दौरान, इस निधि ने उसके निवेशों पर रु 677.22 करोड ब्याज अर्जित की रु. 1050.97 करोड के पेंशन भुगतान में पेंशन सुधार, समेकन तथा समाधान कारण उत्पन्न बकाया राशि तथा जिवित प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण रोके गये पेंशन के कारण उसके प्रति वही खाते में लिखा गया रु 218.52 करोड का उपर्जित व्यय शामिल है. न्यास ने वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 369.50 करोड का घाटा उठाया. विगत वित्तीय वर्ष में यह घाटा 340.75 करोड रुपये था. घाटा संग्रहित निधि में प्रभारित किया गया है.

10. मार्च 2021 और 2022 को पेंशनरों की स्थिति :

(ए) पेंशन भुगतान के आधार पर :

अनु. क्र	पेंशन का प्रकार	दि. को पेंशनरों की संख्या	
		31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1.	अधिवर्षिता	19511	19133
2.	परिवारिक	13033	13385
3.	सानुग्रह	619	521
	कुल :-	33163	33039

(बी) पेंशनरों की संख्या के आधार पर :

अनु. क्र		दि. को पेंशनरों की संख्या	
		31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1.	भुगतान किया गया पेंशन	33163	33039
2.	अस्थायी रूप से रोका गया		
	(i) आधार कार्ड शपथ पत्र चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न करना	214	211
	(ii) जीवित प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना	1684	1859
	कुल :-	35061	35109

11. वर्ष के दौरान निपटाए गए पेंशन मामलों की संख्या :

प्रकार	2020-2021	2021-2022
अधिवर्षिता	654	1133
परिवारिक	678	1196
सानुग्रह	0	0
कुल :-	1332	2329

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 6.63% नये पेंशन मामलों में वृद्धि हुई जबकि विगत वित्तीय वर्ष यह 3.80% थी.

12. वर्ष के दौरान मृत्यु मामलों की संख्या :

प्रकार	2020-2021	2021-2022
अधिवर्षिता	1137	1240
परिवारिक	566	706
सानुग्रह	68	95
कुल :-	1771	2041

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मृत्यु अनुपात 5.81% रहा जबकि विगत वित्तीय वर्ष में यह 5.05% था.

13. जीवित प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण रोके गये पेंशन के मामलों की संख्या

प्रकार	पेंशनरों की संख्या	भुगतान न की गयी राशि (रु लाख में)
(i) वित्तीय वर्ष 2021-22 तक	1859	920.61
(ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान,	393	291.08

14. पेंशनरों की संख्या, जिन्हें अतिरिक्त पेंशन अदा की गयी.

पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनरों की आयु	अतिरिक्त लाभ (%)	कुल पेंशनर 2020-2021	कुल पेंशनर 2021-2022
80 वर्षों से 85 वर्षों से कम आयु	20	1329	1363
85 वर्षों से 90 वर्षों से कम आयु	30	852	781
90 वर्षों से 95 वर्षों से कम आयु	40	357	356
95 वर्षों से 100 वर्षों से कम आयु	50	142	168
100 वर्ष और उसके उपर	100	15	28
कुल :-		2695	2696

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 7.67% बहुत वरिष्ठ नागरीक है जबकि विगत वर्ष में वह 7.69% थी.

15. पेंशनरों को अदा किए गये महँगाई भत्ते का ब्योरा :

अनु. क्र.	अवधि	वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए %			वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए %		
		आधार			आधार		
		1708	126	277	1708	126	277
1.	अप्रैल-जून	291	161	19	298	166	24
2.	जुलै- सितंबर	288	160	19	313	174	25
3.	अक्टूबर-दिसंबर	298	166	20	322	181	27
4.	जनवरी-मार्च	298	166	20	380	184	30

मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022 का असर सूचकांक 1708, 82% बढ़ा था.

मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022 का आधार सूचकांक 126 18% बढ़ा था,

मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022 का आधार सूचकांक 277, 10% बढ़ा था.

15.1 भुगतान के माध्यम वार मासिक पेंशन भुगतान :

अनु. क्र.	भुगतान का माध्यम	2020-21	2021-22
ए.	बैंक के माध्यम से	(रु. करोड़ में)	(रु. करोड़ में)
1.	सीबीएस (एसबीआई)	264.79	343.64
2.	इसीएस	564.54	509.66
3.	एनइएफटी	160.16	275.83
4.	निवल उपार्जित पेंशन	28.03#	-78.15*
	कुल :-	1017.52	1050.98

* निवल उपार्जित पेंशन में 31.3.2022 रु. (0.03) करोड़ के समापन के बाद रु (78.18) करोड़ उपार्जित पेंशन शामिल है

निवल उपार्जित पेंशन में 31.3.2021 को यथा स्थिति संवितरण पर लौटाई गई रु. 4.84 करोड़ की पेंशन तथा रु 3.61 करोड़ की बकाया राशि को समायोजित करने के बाद रु 36.48 करोड़ की उपार्जित पेंशन शामिल है.

15.2 बकायों का भुगतान :

2021-22 वर्ष के दौरान वेतन सुधार 2017 के कारण, अक्टूबर 2022 और मार्च 2022 में श्रेणी I/II के 27 पेंशनरों को रु 0.91 करोड़ की अतिरिक्त संशोधित ग्रेच्युटी, रु 36.41 करोड़ के 20% पेंशन बकायों और मार्च 2022 में कोविड अवधि दौरान रोके गये रु 15.78 करोड़ की महँगाई भत्तों का भुगतान किया गया.

15.3 संराशीकरण का भुगतान :

2021-22 वर्ष के दौरान रु. 117.65 करोड़ पेंशन के संराशीकरण मूल्य राशि का भुगतान किया गया है जब कि पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में वह रु. 135.26 करोड़ था.

15.4 वर्ष के दौरान पेंशन नियमों/विनियमों में संशोधन :

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पेंशन नियम/ विनियमों में कोई भी संशोधन नहीं किया गया. श्रेणी II में आने वाले पेंशनरों के मामले में जीएडी को प्रस्ताव और एसओपी भेजा गया है. इसके अलावा पेंशन विनियमों को मुपप्रा 2021 के अनुसार उपयुक्त रूप से अद्यतन किया जा रहा है.

15.5 भा. जी. बी. नी द्वारा पेंशन की प्रतिपूर्ति/ भुगतान की स्थिति:

वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि.) से पेंशन के भुगतान के लिए रु 1079 करोड़ निकाले गये. (2021-22 वर्ष के दौरान मुंबई पतन प्राधिकरण ने पेंशन निधि न्यास में मासिक पेंशन भुगतान के हेतु रु. 33 करोड़ का अंशदान किया गया.)

16. अन्य महत्वपूर्ण विशेषताये

➤ अधिकतम पेंशन

विगत वर्ष में 1,18,487/- रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,26,070/- रुपये अधिकतम पेंशन भुगतान किया गया है.

➤ डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र

नवंबर 2016 से "ई जीवनप्रमाण" के माध्यम से पेंशनरों के डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र पंजीकरण के लिए प्रणाली भी उपलब्ध करायी गयी है. 2021-2022 के दौरान कुल 21135 पेंशनरों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और उनके लाइफ प्रमाणपत्र डिजिटल फार्म में अग्रेषित किये हैं.

➤ मोबाइल ॲप मु.प.प्रा. ई-सेवा

पेंशनधारकों को उनके मासिक पेंशन के विवरण की जानकारी के लिए तथा मुंपोटू को अपनी शिकायत दर्ज करने के तथा ऐसी शिकायत की स्थिति को जानने के लिए मु.प. प्रा. ई-सेवा ॲप्लीकेशन है. यह सेवा नवंबर, 2017 से मु.प. प्रा. वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है तथा यह अन्ड्रॉइड एवं आयओएस आधारित मोबाइल फोनों से भी प्राप्त की जा सकती है. ॲप्लीकेशन निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध करता है

1) माई प्रोफाइल व्यौरा -

इसमें पेंशनरों का व्यौरा जैसे उनकी पोपोओ संख्या, स्थिति, आधार संख्या पैन संख्या, जन्मतिथि, पता, नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, खाता संख्या, बैंक का नाम आदि उपलब्ध होते हैं.

2) परिपत्रक -

महत्वपूर्ण परिपत्रक तथा लाइफ प्रमाणपत्र फार्म्स डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होते हैं:

3) फीडबॅक/आशंका -

पेंशनर उनकी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं. पता, वैवाहिक स्थिति, बैंक विवरण, केवायसी आदि में परिवर्तन के लिए अनुरोध भी दर्ज करा सकते हैं.

4) ईआरपी का कार्यान्वयन शुरू हो रहा है.

17. आभार :

मैं, मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के न्यासियों के समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिए उन्हें अपना सद्भावपूर्वक धन्यवाद देता हूँ. पेंशन न्यास को मजबूत बनाने के लिए मैं मुंबई पत्तन प्राधिकरण के मंडल के माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूँ. मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ और आगामी वर्षों के लिए अच्छी आय की अपेक्षा करता हूँ. न्यास विलेख में उल्लिखित विद्यमान नियमों तथा मार्गदर्शी तत्वों के अनुसार निधि के उचित प्रशासन के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त समर्पित सेवाओं के लिए मैं अपनी प्रशंसा अभिलिखित करना चाहूँगा.

मैं पेंशनरों को कुशल सेवाएँ प्रदान करने के लिए तथा उनकी शिकायतें दूर करने के लिए वित्त विभाग की पेंशन शाखा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रयासों की भी विशेषरूप से सराहना करता हूँ.

स्थान: मुंबई
तारीख:

हस्ता/-
(राजीव जलोटा)
अध्यक्ष, मुं.प.प्रा. पेंशन निधि न्यास

MUMBAI PORT AUTHORITY PENSION FUND TRUST

ADMINISTRATION REPORT 2021-22

I feel privileged to present the Administration Report of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust for the year ended 31st March 2022.

Brief background of the formation of the Trust and performance of the Trust during the financial year 2021-22 is as under:

Establishment of MbPA Pension Fund Trust (MbPAPFT)

The MbPT (Pension Fund) Regulations have been framed in accordance with provisions of Income Tax Act, 1961. As per the MbPT (Pension Fund) Regulations, 2004 an irrevocable trust for managing Pension Fund has been created nominating Chairman, Dy. Chairman, Financial Adviser & Chief Accounts Officer, Secretary and Two Labour Trustees of the Mumbai Port Trust as the First Trustees of the 'Mumbai Port Trust Pension Fund Trust'. The MbPT Pension Fund Trust came into existence by executing Trust Deed on 14/01/2004 between Board of Trustees of Port of Mumbai and the First Trustees of Pension Fund Trust.

2. Recognition to MbPT Pension Fund Trust :

The Commissioner of Income Tax Range 12(1), Mumbai by order no.CIT 12/Pension Fund/2003-04 dated 1-3-2004 accorded approval to MbPT Pension Fund in terms of powers vested in him under Rule 2(1) of Part B of IV schedule to Income Tax Act, 1961. Ministry by its letter dated 6.4.2004 conveyed its approval to the Trust. The notification has been published in the Govt. Gazette dated 21 May 2004.

3. Approval for change in Nomenclature of MbPT Pension Fund Trust

The Central Government has appointed the 3rd day of November, 2021 as a date on which provision of Major Port Authorities Act, 2021, came into force. Same was published vide Gazette Notification No. S.O. 4504(E) dated 29.10.2021. Accordingly the MPA Act, 2021 came into force w.e.f. 03.11.2021. Ministry, thereafter, constituted the first Board of the Major Port Authorities vide Gazette Notification dated 31.01.2022. Accordingly, the Board of Members of the Mumbai Port Authority vide TR No. 02 dated 15.02.2022 have accorded approval to the change the name of "Mumbai Port Trust" as "Mumbai Port Authority" w.e.f. 31.01.2022 i.e. the date of Gazette Notification.

To comply with above, the Trustees of MbPAPFT vide its Resolution No. 02 dated 12.05.2022, have accorded approval to the change the name of Mumbai Port Trust Pension Fund Trust (MbPTPFT) as Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPAPFT).

4. **Fund Management by Life Insurance Corporation of India:**

In compliance of Rule 89 of Income Tax Rules, 1962 in terms of Board of Trustees resolution No.48 dated 29.03.2004, Life Insurance Corporation of India (LIC) has been appointed as Fund Manager to manage Pension Fund. Every year actuarial valuation of Pension Liability towards existing and future pensioners is worked out by LIC. MbPA has contributed ₹. 565 crore in LIC as an investment in MbPA-PFT.

The total investment with LIC as on 31.03.2022 is ₹. 8948.20 crore against ₹. 8785.14 crore as on 31.03.2021. For the F.Y. 2021-22, LIC has declared interest @ 7.79 %. There is a increase in the returns declared by LIC from 7.70% in FY 2020-21 to 7.79% in FY 2021-22. The interest amounting to ₹.677.06 crore earned on investments of ₹. 8785.14 crore.

5. **Actuarial Valuation:**

Every year data of existing employees and pensioners is forwarded to LIC and actuarial valuation certificate is furnished by them. For the F.Y. 2020-21 the LIC has worked out total actuarial liability of ₹. 13323.66 crore comprising of ₹. 8873.66 crore towards existing pensioners and ₹. 4450.00 crore towards future pensioners i.e. existing employees. This valuation has been done considering the salary escalation rate @ 6%.

6. **Contribution from MbPA :**

On the basis of such actuarial liability and in terms of guidelines provided in Mumbai Port Trust (Pension Fund) Regulations, 2004, yearly contribution is made by Mumbai Port Trust to the Pension Fund Trust to bridge the gap to the extent possible. During the year Mumbai Port Trust (MbPT) has contributed an amount of ₹. 565 crore to MbPAPFT against contribution of ₹. 419.35 crore in F.Y.2020-21.

7. Withdrawal from principal and accrued interest on Investment of Pension Fund with LIC of India for monthly pension payment.

In view of the dearth cash flow, it has been decided to make monthly pension payment by withdrawing from accrued interest on investment of Pension Fund with LIC. For the F.Y.2020-21, LIC had declared interest rate of 7.70%. Hence, for the F.Y.2021-22 interest rate @ 7.00% was estimated. Considering contribution of ₹. 565 crores and estimated interest amount of ₹ 615 crores an amount of ₹.1079 crores has been withdrawn during the year.

8. Fund Position :

The Fund balance as on 31.03.2022 is ₹. 8955.34 crore as against ₹. 8719.34 crore as on 31.03.2021. Considering actuarial valuation of ₹. 13323.66 crore and corpus of ₹. 8955.34 crore there is a short funding to the extent of ₹. 4368.32 crore. The shortfall is expected to be made up on availability of surplus revenue in coming years.

9. Financial Position :

During the year, the Fund has earned interest income of ₹. 677.22 crore on its investments. The pension payment of ₹. 1050.97 crore includes an accrued expenditure of ₹. 218.52 crore booked towards arrears arising due to Pension Revision, Consolidation & settlement and on account of pension withheld for non-receipt of Life certificates. Trust has incurred deficit of ₹. 340.75 crore during the year 2021-22 against the deficit of ₹. 369.50 crore in the previous financial year. The deficit has been charged to the Corpus.

10. Position of pensioners as on March-2021 & March-2022 :

A. On the basis of Pension Paid :

Sr. No.	Type of Pension	No. of Pensioners as on	
		31 st March 2021	31 st March 2022
1.	Superannuation	19511	19133
2.	Family	13033	13385
3.	Ex-Gratia	619	521
	Total	33163	33039

B. On the basis No of Pensioners:

Sr. No	Particulars	No. of Pensioners as on	
		31 st March 2021	31 st March 2022
1.	Pension Paid	33163	33039
2.	Temporarily Stopped for :		
	i. Non submission of Aadhar Card, affidavit, medical certificate etc.	214	211
	ii. Non receipt of Life Certificate	1684	1859
	Total no of Pensioners	35061	35109

11. No. of Pension cases finalized during the year :

Type	2020-2021	2021-2022
Superannuation	654	1133
Family	678	1196
Ex-Gratia	0	0
Total	1332	2329

During the F.Y. 2021-22 the new pension cases increase by 6.63% as against 3.80% in the previous financial year.

12. No. of Death cases during the year :

Type	2020-2021	2021-2022
Superannuation	1137	1240
Family	566	706
Ex-Gratia	68	95
Total	1771	2041

During the F.Y. 2021-22 the death ratio is 5.81% as against 5.05% in the previous financial year.

13. No. of cases where pension is stopped due to non-receipt of life certificate:

	No. of pensioners	Amount not paid (₹. in Lakh)
(i) Upto FY 2021-22	1859	920.61
(ii) During FY 2021-22	393	291.08

14. No. of pensioners to whom additional pension is paid.

Age of pensioners / family pensioners	Additional Benefit (%)	Total pensioners 2020-2021	Total pensioners 2021-2022
From 80 year to less than 85	20	1329	1363
From 85 year to less than 90	30	852	781
From 90 year to less than 95	40	357	356
From 95 year to less than 100	50	142	168
100 years and above	100	15	28
		2695	2696

During the F.Y. 2021-2022 total 7.67% pensioners are very senior citizen as against the 7.69% pensioners in the previous year.

15. Details of D.A. paid to pensioners :

Sr.No	Period	% for F.Y. 2020-2021			% for F.Y. 2021-2022		
		Base Index			Base Index		
		1708	126	277	1708	126	277
1.	April-June	291	161	19	298	166	24
2.	July-Sept	288	160	19	313	174	25
3.	Oct-Dec	298	166	20	322	181	27
4.	Jan-March	298	166	20	380	184	30

The Base Index 1708 is increased by 82% as on March-2022 as compared to March-2021
 The Base Index 126 is increased by 18% as on March-2022 as compared to March-2021
 The Base Index 277 is increased by 10% as on March-2022 as compared to March-2021

15.1. Amount of Pension disbursement - payment mode wise details :

Sr.No.	Payment mode	2020-21	2021-22
	Through Bank	(₹. in Crore)	(₹. in Crore)
1.	CBS (SBI)	264.79	343.64
2.	ECS	564.54	509.66
3.	NEFT	160.16	275.83
4.	Net Accrued pension	28.03#	-78.15*
		1017.52	1050.98

* Net accrued pension includes Accrued Pension ₹.(78.18) crore after adjusting ₹.(0.03) crore closure as on 31.03.2022.

Net accrued pension includes Accrued Pension ₹. 36.48 crore after adjusting ₹. 4.84 crore pension returned on disbursement and ₹ 3.61 crore closure outstanding as on 31.03.2021.

15.2. Details of payment other than regular pension payment - any extra ordinary arrears etc paid during the year :

Additional revised Gratuity of ₹. 0.91 crores to 27 pensioners of Class-I/II, 20% pension arrears of ₹ 36.41 crores paid in the month of October-2021 & March 2022 on account of Revision-2017 and DA freeze of COVID period amounting to ₹ 15.78 crores paid in the Month of March, 2022 during the FY 2021-22.

15.3. Commutation payment :

Commutated value of pension amounting to ₹. 117.65 crore is paid during year 2021-22 as against ₹. 135.26 crore in the previous financial year 2020-21.

15.4. Amendments in Pension Rules / Regulations during the year:

No amendments in pension rules / regulation during the financial year 2021-22. In general proposal has been sent by GAD and SOP in case of the pensioners falling under Category-II. Further extent Pension Regulations are being suitably updated as per provision of MbPA 2021

15.5. Status of reimbursement / disbursement of Pension by LIC:

₹.1079 crore were withdrawn for disbursement of pension from Life Insurance Corporation of India (LIC) during the financial year 2021-22. (₹ 33 crores were contributed by MbPA for pension payment during the financial year 2021-22)

16. Other important Highlights:

➤ **Highest Pension:**

During the F.Y. 2021-22 highest pension paid is ₹. 1,26,070/- as against ₹. 1,18,487/- paid in previous financial year.

➤ **Digital Life Certificate:**

A system for digital Life Certificate registration of pensioners through "E-Jeevan Praman" is also made available from November-2016. During 2021-22 total 21135 no. of pensioners have availed the facility and forwarded their life certificates in digital form.

➤ **Mobile Apps MbPT E-Seva:**

"MbPT e-seva" Application is for the convenience of pensioners to know the details of monthly pension to register their grievances to MbPT and to know the status of complaint lodged. It was introduced on website from November-2017 which is also accessible through android and IOS based mobile phones.

The application provides following Menus :

1. **My Profile Details :**

Pensioners' details such as their PPO No, Status, AADHAR No., PAN Number, Date of Birth, Address, Date of Appointment, Date of Retirement, Account No., Bank Name etc. are available.

2. **Circulars :**

Important circulars and life certificate forms are available for downloading.

3. **Feedback/Query :**

The pensioners can register their grievance. The requests for change in address, marital status, bank details, KYC etc. can also be registered.

4. ERP implementation is on the verge.

17. **Acknowledgment:**

I extend my sincere thanks for the support and guidance of the Trustees of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust. I am grateful to the Honorable Members of the Board of Mumbai Port Authority for strengthening the Pension Fund. I wish to thank officials of LIC for their co-operation and expect good returns for the ensuing years. I would like to place on record my appreciation of dedicated services rendered by the officers and staff of Finance Department of Mumbai Port Authority for proper administration of the Fund as per the extant Rules and guidelines mentioned in the Trust Deed.

I specially appreciate the efforts of Officials and staff of Pension Branch of Finance Department for providing efficient services to the pensioners and attending to their grievances promptly.


Place : Mumbai

Date :

(Rajiv Jalota)

CHAIRMAN, MBPA-PFT

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
पेंशन निधि न्यास



MUMBAI PORT AUTHORITY
PENSION FUND TRUST

वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS
2021 - 2022
और /and
उसपर लेखापरीक्षा रिपोर्ट
THE AUDIT REPORT THEREON

वर्ष 2021-2022 की रिपोर्ट में अंतर्निहित लेखापरीक्षा संबंधी
आपत्तियों/अवलोकनों आदि पर की गयी कार्रवाई के विवरण सहित

WITH ACTION TAKEN NOTES ON
AUDIT OBJECTIONS/OBSERVATIONS CONTAINED
IN THE REPORT FOR THE YEAR 2021-2022


मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust


31.03.2022 का तुलन पत्र
Balance Sheet as on 31.03.2022


ब्यौरा/Particulars	SCHEDULE	(₹)	(₹)
		As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
पेन्शन फंड लेखा और देयताएं / Pension Fund Account and Liabilities			
पेन्शन फंड Pension Fund	I	89553432666.06	87193393041.94
आरक्षित और अतिरिक्त Reserves And Surplus	---	---	---
चिन्हित स्थायी निधि Earmarked Endowment Funds	---	---	---
सुरक्षित ऋण और अग्रिम Secured Loans And Advances	---	---	---
असुरक्षित ऋण और अग्रिम Un-secured Loans and Advances	---	---	---
अस्थागित जमा देयताएं Deferred Credit Liabilities	---	---	---
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान Current Liabilities and Provisions	II	2704103012.00	3327453875.00
कुल/Total		92257535678.06	90520846916.94
परिसंपत्तियाँ /Assets			
नियत परिसंपत्तियाँ Fixed Assets	---	---	---
निवेश - चिन्हित/स्थायी निधिसे Investments - From Earmarked/Endowment Funds	III	89543709235.23	87891944076.78
निवेश - अन्य Investments - Others	---	---	---
वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण तथा अग्रिम Current Assets, Loans and Advances	IV & V	2713826442.83	2628902840.16
फुटकर खर्च (बटटे खाते में न डाला हुआ) Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)	---	---	---
कुल/Total		92257535678.06	90520846916.94


उपरोक्त तुलनपत्र मे मेरे/हमारे विश्वास से न्यास की निधि और देयताओं तथा परिसम्पत्ति और सम्पत्ति के सही लेखा समाविष्ट हैं

The above Balance Sheet to the best of my/our belief contains a true account of the Funds and Liabilities and of the Property and Asset of the Trust.


राजीव जलोटा
अध्यक्ष


आदेश तितरमारे
उपाध्यक्ष


कै. भवतोष चंद
सचिव (वि. स. और मु.
ते. अ. के सांविधिक
अधिकार के साथ)


यु. आर. मोहन राजु
न्यासी

(रिक्त)
न्यासी

(रिक्त)
न्यासी

Rajiv Jalota
Chairman

Adesh Titarmare
Dy. Chairman

Capt. Bhabatosh Chand
Secretary (having
statutory power of
FA&CAO)

U. R. Mohan Raju
Trustee


(Vacant)
Trustee

(Vacant)
Trustee

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust


31.03.2022 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय खाता
Income And Expenditure Account for the year ended 31.03.2022

ब्यौरा/Particulars	(₹)	(₹)
	for the year ended 31.03.2022	for the year ended 31.03.2021
आय/Income		
निवेशोंसे आय (अलग निधियोंसे निवेशोंपर आय) Income from Investments (Income on Inv. from Earmarked Funds - Trfd to Funds)	6770658593.42	6506613670.81
पेंशन भुगतान के संवितरण के लिए एमबीपीए से अग्रिम भुगतान / Advance payment recd. from MBPA for disbursement of pension payments	330000000.00	---
प्राप्त व्याज/Interest Earned	1617615.00	---
अन्य आय (निवेश कि विक्रि पर लाभ)/Other Income (Profit on sale of investment)	---	---
अंतिम उत्पाद / जारी कार्य में वृद्धि Increase/Decrease in Stock of Finished Goods & Work in Progress	---	---
कुल(क)/Total (A)	7102276208.42	6506613670.81
व्यय/Expenditure		
स्थापना व्यय (निवृत्ति वेतन वितरण) Establishment Expenses (Pension Disbursement)	10509791425.75	10175255201.00
अन्य प्रशासकीय व्यय /Other Administrative Expenses	---	---
अनुदानों आर्थिक सहायता पर व्यय/Expenditure on Grants, Subsidies etc.	---	---
निवेश के प्रतिदान पर घाटा / Loss on redemption of Investments	0.00	26403855.21
व्याज / Interest	0.00	0.00
पिछले वर्ष से संबंधित मद Item Related to Previous Year	---	---
कुल(ख)/ Total (B)	10509791425.75	10201659056.21
व्यय से आय अधिक होने से शेष(क-ख) / Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)	---	---
आय से व्यय अधिक होने से घाटा(क-ख) / Deficit being excess of Expenditure over Income (A-B)	3407515217.33	3695045385.40
विशेष आरक्षित में अंतरित / Transfer to Special Reserve	---	---
सामान्य आरक्षित में/से अंतरित /Transfer to/from General Reserve	---	---
पेंशन फंड में आगे लाया गया / Surplus carried to Pension Fund	---	---
पेंशन फंड में से घाटा निकाला गया / Deficit withdrawn from Pension Fund	3407515217.33	3695045385.40




राजीव जलोटा
अध्यक्ष

Rajiv Jalota
Chairman




आदेश तितरमारे
उपाध्यक्ष

Adesh Titarmare
Dy. Chairman



कै. भवतोष चंद
सचिव (वि. स. और मु.
ले. अ. के सांविधिक
अधिकार के साथ)

Capt. Bhabatosh Chand
Secretary (having
statutory power of
FA&CAO)



यु. आर. मोहन राजु
न्यासी

U. R. Mohan Raju
Trustee

(रिक्त)
न्यासी

(Vacant)
Trustee

(रिक्त)
न्यासी

(Vacant)
Trustee


मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust
31.03.2022 को समाप्त वर्ष की प्राप्ति एवं भुगतान
Receipts and Payments for the year ended 31.03.2022

(₹)	प्राप्ति Receipt	(₹)	(₹)	भुगतान Payments	(₹)
2020-21		2021-22	2020-21		2021-22
	I. अधिशेष / Opening Balances	---		I. व्यय / Expenses	
	अ) हाथ में रोकड़ / a) Cash in hand	---	9871848841.00	क) स्थापना व्यय (निवृत्ति वेतन वितरण)	11226173786.00
	ब) बैंक शेष / b) Bank Balances	---		Establishment Expenses (Pension Disbursement)	
	i) चालू खाते में / In current accounts	---		ख) प्रशासनिक व्यय /	4902.90
510091.50	इंडियन बैंक - Indian Bank	2996026.50		Administrative Expenses	
341290776.62	भारतीय स्टेट बैंक - State Bank of India	453061059.26		II. विभिन्न परियोजनाओं के निधियों के लिए भुगतान	---
	(ii) जमा खातों में / In deposit accounts	---		Payments made against funds for various projects	
	(iii) बचत खातों में / Savings accounts	---		III नये निवेश/जमा	
	II. प्राप्त अनुदान / Grants Received			Investments and deposits made	
	क) भारत सरकार से / a)		2539000000.00	क) चिह्नित स्थायी निधि से /	
	From Government of India			Out of Earmarked/Endowment funds	5650000000.00
	ख) राज्य सरकार से /			ख) खुद के निधि से (एलआयसी में)	
	b) From State Government			Out of Own Funds (Investments with LIC)	
	ग) अन्य स्रोतों से /		40380858.36	ग) मियादी जमा (सीएलटीडी) /	1921000000.00
	From other sources			Term Deposit (CLTD)	
	III. निम्न से निवेशों पर प्राप्त आय			IV. नियत परिसम्पत्तियों तथा जारी कार्यों पर व्यय	
	Income on Investments from :-			Expenditure on Fixed Assets & Capital Work In Progress	
	अ) चिह्नित स्थायी/ निधि (ब्याज) a)			क) नियत परिसम्पत्तियों की खरीद	---
	Earmarked/Endow Funds (Interest)			a) Purchase of Fixed Assets	
	मोचन पर लाभ / Profit on redemption	---		ब) जारी कार्यों पर व्यय	---
	ब) खुद के निधि से (अन्य निवेश)	---		b) Expenditure on Capital WIP	
	b) Own Funds (other Investment)			V. ऋण की धन वापसी /	
	IV. प्राप्त ब्याज /			Refund of Loans	
	Interest Received			क) भारत सरकार से / a)	---
	अ) बैंक जमा पर (सीएलटीडी)/	949466.00		From Government of India	
	On Bank Deposits (CLTD)			ख) राज्य सरकार से /	---
	ब) ऋण अग्रिम आदि / b)	---		b) From State Government	
	Loans & Advances etc.			ग) अन्य /	---
				Other	


cont... pg4

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust
31.03.2022 को समाप्त वर्ष की प्राप्ति एवं भुगतान
Receipts and Payments for the year ended 31.03.2022


(₹)	प्राप्ति Receipt	(₹)	(₹)	भुगतान Payments	(₹)
2020-21		2021-22	2020-21		2021-22
4193497916.00	V. अन्य आय / Other Income			VI. वित्तीय प्रभार / Finance Charges	---
80902084.00	अ) मु.प.प्रा. ने किया अंशदान Contribution by MBPA	5980000000.00	46687248.00	VII. अन्य भुगतान / Other Payments	---
---	ब) अंशदान - कर्मचारियों कि अन्यत सेवा b) Foreign Service Contibution	14420952.00		VIII. इतिशेष / Closing Balances	---
6000000000.00	क) अवधि समाप्ती निवेश / Invst.Matured (including CLTD)	1899893434.97		अ) हाथ मे रोकड / a) Cash in hand	---
	द) एलआईसी से निकासी d) Withdrawal from LIC	10790000000.00		ब) बैंक शेष / b) Bank Balances	---
	VI. उधार राशी / Amount Borrowed	---		i) चालू खाते में / i) In current accounts	---
	VII. कोई अन्य प्राप्तीयाँ / Any other receipts	---	2996026.50	इंडियन बैंक - Indian Bank	377098.50
4279751.00	मु.प.प्रा. से प्राप्त (शेष के प्रती) / Received from MbPA (against outstanding receivables)	---	453061059.26	भारतीय स्टेट बैंक - State Bank of India	420072919.58
48393414.00	निवृत्ति वेतन बन्द होने से प्राप्त / Amount received on account of Pension Closure	60013203.25		(ii) जमा खातों में / In deposit accounts	---
	वितरण की वापसी / Disbursement Returned	16294565.00		(iii) बचत खातों में / Savings accounts	---
10668874033.12	कुल / Total	19217628706.98	10668874033.12	कुल / Total	19217628706.98


राजीव जलोटा
अध्यक्ष


Rajiv Jalota
Chairman


आदेश तितरमारे
उपाध्यक्ष

Adesh Titarmare
Dy. Chairman


कै. भवतोष चंद
सचिव (वि. स. और मु.
ले. अ. के सांविधिक
अधिकार के साथ)

Capt. Bhabatosh Chand
Secretary (having
statutory power of
FA&CAO)


यु. आर. मोहन राजु
न्यासी

U. R. Mohan Raju
Trustee

(रिक्त)
न्यासी

(Vacant)
Trustee

(रिक्त)
न्यासी

(Vacant)
Trustee

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2022 के तुलनपत्र की अनुसूची I

Schedule - I to the Balance Sheet as at 31.03.2022

अनुसूची : निवृत्ती वेतन निधि / Schedule : PENSION FUND

	as on 31.03.2022			as on 31.03.2021		
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
01.04.2021 को अधिशेष / Opening Balance as on 01.04.2021			87193393041.94			86472499821.34
जोड़े : अंशदान/अन्य प्राप्तीयों / Add : Contributions /Other Receipts						
1) अंशदान / Contribution						
a) म.प.प्रा. ने किया / 2021-22 में निवृत्ती वेतन के भुगतान के लिए हस्तांतरित की गई राशी द्वारा / Amounts by way of Transfers during the year 2021- 22 for disbursement of Pension	0.00			3939597916.00		
b) एलआईसी में की गई निवेश / Amount invested with LIC	5650000000.00			2539000000.00		
c) बीडीएलवी से की गई भुगतान / Payments made by BDLB	0.00			0.00		
		5650000000.00		4193497916.00		
2) कर्मचारियों कि अन्यत सेवा / Foreign Service Contribution		15656285.00		226705.00		
3) निवृत्त सीपीएफ कर्मचारियों का विश्वस्तौका अंशदान पेंशन फंड को हस्तांतरित किया / Trustess Contribution to PF in respect of CPF employees Transferred to Pension Fund		135419063.45		223698636.00		
4) वर्ष 2020-21 का अधिशेष पूंजी में लाया गया / Surplus of the year 2021-22 transferred to Pension Fund		0.00	5801075348.45	0.00		4417423257.00
घटाएं : भुगतान / अन्य आकार / Less : Payments / Other Charges						
1) अंशदान का भुगतान / Contribution Payment		33520507.00		1484651.00		
2) वर्ष 2021-22 का घाटा पूंजी में निकाला / Deficit for the year 2021-22 withdrawn from Pension Fund		3407515217.33	3441035724.33	3695045385.40		3696530036.40
31.03.2022 को इतिशेष / Closing Balance as on 31.03.2022			89553432666.06			87193393041.94

कै. भवतोष चंद
सचिव (वि. स. और मु. ले. अ. के सांविधिक अधिकार के
साथ)

(Capt. Bhabatosh Chand)

Secretary (having statutory power of FA&CAO)

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2022 के तुलनपत्र की अनुसूची II
Schedule - II to the Balance Sheet as on 31.03.2022

अनुसूची : वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान
Schedule : Current Liabilities and Provisions

	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
	as on 31.03.2022		as on 31.03.2021	
प्रोदभूत देयताएँ / Accrued Liabilities				
निवृत्ति वेतन भुगतान / Pension Payments	2185212121.00		2966264761.00	
		2185212121.00		2966264761.00
विविध लेनदार / Sundry Creditors				
निवृत्ति वेतन लाभार्थी / Pensioners	5125316.00		4600545.00	
अन्य / Others	513765575.00		356588569.00	
		518890891.00		361189114.00
कुल/Total		2704103012.00		3327453875.00

कै. भवतोष चंद
सचिव (वि. स. और मु. ले. अ. के सांविधिक
अधिकार के साथ)

(Capt. Bhabatosh Chand)

Secretary (having statutory power of FA&CAO)

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31-03-2022 के तुलनपत्र की अनुसूची III

Schedule - III to the Balance Sheet as at 31.03.2022

अनुसूची : निवेशों की सूची/ Schedule : List of Investment

निवेशों के सूची List of Investment	as at 31.03.2022		as at 31.03.2021	
	अंकित मुल्य	लागत मुल्य	अंकित मुल्य	लागत मुल्य
	Face Value	Cost Value	Face Value	Cost Value
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
सार्वजनिक क्षेत्र बॉण्ड/ Public Sector Bond				
यूपीसीएसएमएफ बॉण्ड / UPSCSMF Bond	0.00	0.00	0.00	0.00
यूपीएसवायसीएल बॉण्ड / UPSYCL Bond	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल(अ)/Total(a)	0.00	0.00	0.00	0.00
एलआयसी के पास / With LIC	89482033190.84	89482033190.84	87851374597.42	87851374597.42
कुल(ब)/Total(b)	89482033190.84	89482033190.84	87851374597.42	87851374597.42
मियादी जमा /Term Deposit with banks (CLTD)	61676044.39	61676044.39	40569479.36	40569479.36
कुल(क)/Total(C)	61676044.39	61676044.39	40569479.36	40569479.36
कुल योग / Grand Total	89543709235.23	89543709235.23	87891944076.78	87891944076.78
उद्धरित निवेश /Quoted Investments	0.00	0.00	0.00	0.00
उद्धरित न किए निवेश / Investments Unquoted	89543709235.23	89543709235.23	87891944076.78	87891944076.78

कै. भवतोष चंद

सचिव (वि. स. और मु. ले. अ. के सांविधिक अधिकार के साथ)
(Capt. Bhabatosh Chand)

Secretary (having statutory power of FA&CAO)

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust
31.03.2022 के तुलनपत्र की अनुसूची IV
Schedule - IV to the Balance Sheet as at 31.03.2022

अनुसूची : प्राप्त न हुआ ब्याज / Schedule : Interest defaulted

बॉण्ड Bond	लेने की तिथि / आबंटन की तिथि Date of Placement / Date of Allotment	समाप्ती की तिथि Date of Maturity	लागत मूल्य Cost Value	प्राप्त न हुआ ब्याज / Defaulted Interest		Total As on 31.03.2022
				upto 31.03.2021	During 2021-22	
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
NONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग / Grand Total				0.00	0.00	0.00



कै. भवतोष चंद

सचिव (वि. स. और मु. ले. अ. के सांविधिक अधिकार के साथ)

(Capt. Bhabatosh Chand)

Secretary (having statutory power of FA&CAO)

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust
 31.03.2022 के तुलनपत्र की अनुसूची V
Schedule - V to the Balance Sheet as on 31.03.2022
 अनुसूची : वर्तमान परिसंपत्तियों ऋण तथा अग्रिम
Schedule : Current Assets, Loans and Advances

	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
	as on 31.03.2022		as on 31.03.2021	
प्रोदभूत आय / Accrued Income				
न्यास के निवेशोपर प्रोदभूत ब्याज	711772.00		141045.00	
Accrued Interest on Investments by the Trust		711772.00		141045.00
विविध देनदार / Sundry Debtors				
मुं. प. प्रा. से प्राप्य /Receivable from MBPA	2255371011.75		2136575617.40	
निवृत्ति वेतन लाभार्थियों से प्राप्य / Receivable from Pensioners	37293641.00		36129092.00	
		2292664652.75		2172704709.40
रोकड एवं बैंक शेष				
Cash and Bank Balances				
इंडियन बैंक - खाता कं 415242112	377098.50		2996026.50	
Indian Bank - A/C No. 415242112				
भारतीय स्टेट बैंक - खाता कं 10996687573	420072919.58		453061059.26	
State Bank of India - A/C No.10996687573		420450018.08		456057085.76
कुल/Total		2713826442.83		2628902840.16

कै. भवतोष चंद
 सचिव (वि.स. और मु. ले.अ. के सांविधिक अधिकार के साथ)
(Capt. Bhabatosh Chand)
 Secretary (having statutory power of FA&CAO)

**महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के
लेखों पर टिप्पणियाँ**

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 को एक तारीख के रूप में नियुक्त किया है, जिस दिन प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 का प्रावधान लागू हुआ था। जिसे दिनांक 29.10.2021 को राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4504 (ई) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। तदनुसार 03.11.2021 से बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021, प्रभावी हुआ। इसके बाद मंत्रालय ने दिनांक 31.01.2022 की राजपत्र अधिसूचना के तहत महापतन प्राधिकरणों के पहले न्यासी मंडल का गठन किया तदनुसार, मुंबई पतन प्राधिकरण के सदस्यों के न्यासी मंडल ने संकल्प संख्या 02 दिनांक 15.02.2022 के माध्यम से दिनांक 31.01.2022 यानी राजपत्र अधिसूचना की तिथि से "मुंबई पतन ट्रस्ट" के नाम को "मुंबई पतन अथॉरिटी" के रूप में बदलने की मंजूरी दे दी है।

उपरोक्त का अनुपालन करने के लिए, मुंबई पतन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के न्यासीयों ने अपने संकल्प संख्या 02 दिनांक 12.05.2022 के माध्यम से मुंबई पतन न्यास पेंशन निधि न्यास (एमबीपीटीपीएफटी) के नाम को मुंबई पतन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास (एमबीपीएपीएफटी) के रूप में बदलने की मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

- (i) निधि के वित्तीय लेन-देन की प्रस्तुति की दृष्टि से लेखा कार्यप्रणाली तैयार की गयी है।
- (ii) लेखा विधि के प्रोद्भूत आधार पर तथा ऐतिहासिक लागत परंपरा के अधीन वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। लेखों की प्रस्तुति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार है।
- (iii) निवेश -
लेखा-विधि मानक 13 के अनुसार निवेश संबंधी जानकारी, जैसे कि उधत तथा अन-उधत (भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ किए गये निवेशों सहित) निवेश की कुल राशि, तुलन पत्र के अनुसूची-II में दिखायी गयी है। कमीशन और संबंधित मदों पर ब्याज को ध्यान में लेते हुए निवेश लागत पर मूल्यांकित किए गए हैं।
- (iv) राजस्व की जानकारी -
- (ए) ब्याज की गणना प्रोद्भूत आधार पर की जाती है।

(बी) दि. 29.03.2004 के न्यासी मंडल की संकल्प संख्या 48 के अनुसार आयकर नियम 1962 के नियम 89 के अनुपालन में भारतीय जीवन बीमा निगम (मा.जी.बी.नि.) को पेंशन निधि के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रत्येक वर्ष में उनके द्वारा वर्तमान तथा भविष्य के पेंशनरों के प्रति बीमांकिक पेंशन देयता की गणना की जाती है। इस बिमांकिक देयता के आधारपर तथा मुंबई पतन न्यास (पेंशन फंड) विनियम, 2004 में दिए गए मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार मुंबई पतन प्राधिकरण द्वारा मु.पो. प्रा. पेंशन निधि न्यास (एमबीपीए-पीएफटी) में वार्षिक अंशदान किया जाता है।

मुंबई पतन प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मुंबई पतन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास में भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश के रूप में रु. 565,00,00,000 करोड़ और मासिक पेंशन भुगतान के लिए रु. 33,00,00,000 करोड़ का अंशदान किया, जिसकी विस्तृत जानकारी अनुसूची में दिखाई गयी है।

लेखों पर टिप्पणियाँ

- I. केंद्र सरकार ने नौवहन मंत्रालय (पतन विंग) के माध्यम से अधिसूचना सं. पीआर 12016/24/2002 पीई-1 दि. 21.05.2004 द्वारा मुंबई पतन न्यास (पेंशन फंड) विनियमन, 2004 को मंजूरी दी, जो अधिसूचना जीएसआर-सं. 341(ई) भारत के राजपत्र में, भाग II, खंड 3, उपखंड 3(1) दि. 21.05.2004 के तहत प्रकाशित हुई। मुंबई पतन न्यास के न्यासी मंडल और पेंशन फंड ट्रस्ट के न्यासियों के बीच 14 जनवरी 2004 को निष्पादित न्यास विलेख द्वारा मुंबई पतन ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट अस्तित्व में आया। आयकर आयुक्त, क्षेत्र 12 (1) मुंबई ने कुछ शर्तों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसूची IV के पार्ट सबी के नियम 2 (1) के अधीन उन्हें प्रदत्त अधिकारों के अनुसार दि.01.03.2004 के आदेश क्र. सीआयटी. 12/पेंशन फंड/2003-04 द्वारा मुंबई पतन ट्रस्ट पेंशन निधि को अनुमोदन दिया। मंत्रालयने उनके दि.06.04.2004 के पत्र द्वारा न्यास को अनुमोदन सूचित किया और 21 मई 2004 के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी।
- II. पोत परिवहन मंत्रालय (पतन स्कंध) द्वारा जारी दि.09.01.2015 की अधिसूचना सं. एलबी 13022/4/1997-एल-IV/डीओ (I) के अनुसार, बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड को दि. 01.01.2015 से विधिवत मुंबई पतन प्राधिकरण के साथ विलय कर दिया गया है। इस प्रकार दिनांक 01.01.2015 से भूतपूर्व बीडीएलबी के वर्तमान तथा भविष्यकालीन पेंशनरों के प्रति पेंशन देयता को मुपोप्रा पेंशन निधि द्वारा निभाया जाता है तथा पेंशन भुगतान पर व्यय का हिसाब मुंबई पतन प्राधिकरण पेंशन फंड ट्रस्ट की बहियों में रखा गया है।

III. भारतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि.) द्वारा निधि प्रबंधन

(ए) (भा.जी.बी.नि. को पेंशन निधि के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है. प्रत्येक वर्ष बिमांकिक देयता की पूर्तता के लिए राशि भा. जी. बी. नि. के साथ निवेश की जाती है. भा.जी.बी.नि. के साथ किए गए निवेशों पर प्राप्त ब्याज को भी भा.जी.बी.नि. के पास रखा जाता है. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भा.जी.बी.नि. के साथ रु.565,00,00,000 की राशि निवेश की गई. वित्तीय वर्ष 2021-22 में ब्याज @7.79% रु. 677,06,58,593.42 राशि भा.जी.बी.नि. द्वारा प्राप्त हुई जिसे भा.जी.बी.नि. में पुनः निवेश किया गया. 31.03.2022 तक भा.जी.बी.नि. में कुल निवेश रु. 8948,20,33,190.84 है तथा 31.03.2021 तक भा.जी.बी.नि. में कुल निवेश रु. 8785,13,74,597.42 था.

(बी) बीमांकिक मूल्यांकन

भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि 31.03.2021 को कुल देयता रु. 13323.66 करोड़ है अर्थात् वर्तमान पेंशनरों के प्रति रु. 8873.66 करोड़ है और भविष्यकालीन पेंशनरों (वर्तमान कर्मचारी) के प्रति रु. 4450.00 करोड़ है. यह मूल्यांकन वेतन बढ़ोतरी के 6% दर को ध्यान लेते हुए किया गया है. दि. 31.03.2022 को यथा स्थिति रु. 8955.34 करोड़ के निधि शेष को ध्यान में लेते हुए रु.4368.32 करोड़ की निधि की कमी को राजस्व में अधिशेष की उपलब्धता होने पर चंद वर्षों में पूरा किया जाएगा.

IV. मासिक पेंशन भुगतान हेतु भा. जी. बी. नि. के साथ पेंशन फंड के निवेश की मूलधनराशि तथा उस पर उपार्जित ब्याज की निकासी.

घटते नकदी प्रवाह को देखते हुए भा.जी.बी.नि. के साथ पेंशन निधि के निवेश पर उपार्जित ब्याज से निकासी करके मासिक पेंशन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भा.जी.बी.नि.ने. 7.70% का व्याजदर घोषित किया था, अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 7.00% का व्याजदर अनुमानित था. वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गई 565,00,00,000 का राशि निवेश और रु 615,00,00,000 का अनुमानित प्राप्त ब्याज ध्यान में लेते हुए, रु 1079,00,00,000 की राशि मासिक पेंशन भुगतान हेतु भा.जी.बी.नि. के साथ निवेश पर व्याज से वर्ष के दौरान निकाली गयी.

- V. मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के न्यास विलेख के प्रावधानों के अनुसार, निधि के संचालन संबंधी सभी प्रशासकीय व्यय न्यासियों द्वारा उठाया जाएगा और लेखा परीक्षा शुल्क मुंबई पत्तन प्राधिकरण के न्यासी मंडल द्वारा उठाया जाएगा. इसलिए आय और व्यय लेखा में प्रशासकीय व्यय को नहीं दिखाया गया है.
- VI. आय व्यय विवरण में वर्ष 2021-22 में प्राप्त ब्याज (उपार्जित ब्याज सहित) रु. 677,22,76,208.42 आय की तरफ दिखाये गये हैं. इसमें भा.जी.बी.नि. से प्राप्त ब्याज रु.677,06,58,593.42 और सीएलटीडी से अर्जित ब्याज रु. 16,17,615 सम्मिलित है. इसी प्रकार पेंशन भुगतान हेतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण से प्राप्त रु 33,00,00,000 आय में दिखाये गये हैं. व्यय कि तरफ दिखाये गये रु 1050,97,91,425.75 के कुल व्यय में पेंशन सुधार समेकन तथा समाधान के कारण उत्पन्न बकाया राशि तथा जीवित प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण उसके प्रति वही खाते में लिखा गया रु 218,52,12,121.00 करोड का उपार्जित व्यय शामिल है. रु. 340,75,15,217.33 करोड के घाटे को संग्रहित निधि से प्रभारित किया गया है.
- VII. मुंबई पत्तन प्राधिकरण से भूतपूर्व बीडीएलबी पेंशन निधि के अंतरण के कारण प्राप्य रु. 225,53,71,011.75 करोड की राशि को 'वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण तथा अग्रिम' मद के अंतर्गत दिखाया गया है.
- VIII. वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण तथा अग्रिम के अधीन प्रतिनिचित विविध लेनदारों में 31/03/2022 को यथास्थिति पेंशनरी से देय रु 3,72,93,641.00 का समावेश है तथा वसूली की प्रक्रिया जारी है.
- IX. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, संबंधित पेंशनरी से जीवित प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण पेंशन रोकी गयी ऐसे 204 मामले हैं. ऐसे मामलों में रु 2,06,49,382 को कुल राशि तथा पेंशन सुधार समेकन तथा समाधान के कारण पेंशनरों को देय कुल रु 214,61,01,492 के बकायों की राशि को वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान मद के अंतर्गत उपार्जित देयता के रूपमें वही खाते में लिखा गया है. इसी तरह रु 1,77,42,895 सेवानिवृत्ति देय राशि और रु 7,18,352 अन्यत्र सेवा योगदान के कारण भुगतान नहीं किया गया है. उपरोक्त सभी उपार्जित देयताओं को "वर्तमान देयताएं और प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया है.

X. निधियों के स्रोत और उपयोगिता की जानकारी निम्न प्रकार है..

	स्रोत	(रु. करोड़ों में)
1	मुंबई पतन प्राधिकरण से भा.जी.बी.नि. को अंशदान	565,00,00000.00
2	विदेश सेवा अंशदान	1,56,56,285.00
3	सीपीएफ कर्मचारियों के संबंधमे भविष्य निर्वाह निधि में न्यासियों का अंशदान	13,54,19,063.45
4	वर्तमान देयताओं में कमी	(62,33,50,863.00)
	कुल	517,77,24,485.45
	उपयोगिता	
1	भा.जी.बी.नि. के साथ निवेश में वृद्धि	165,17,65,158.45
2	अंशदान का भुगतान	335,20,507.00
3	वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों में वृद्धि	8,49,23,602.67
4	आय से ऊपर व्यय की अधिकता (घाटा)	340,75,15,217.33
	कुल	517,77,24,485.45

हस्ता/-

राजीव जलोटा
अध्यक्ष

हस्ता/-

आदेश तितरमारे
उपाध्यक्ष

हस्ता/-

कैप्टन भबतोष चंद
सचिव
(वि.स.और मु.ले अ.के
सांविधिक अधिकार के साथ)

हस्ता/-

यु. आर. मोहन राजु
न्यासी

हस्ता/-

(रिक्त)
न्यासी

हस्ता/-

(रिक्त)
न्यासी

**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON ACCOUNTS FOR THE
YEAR ENDED 31ST MARCH 2022**

.....

The Central Government has appointed the 3rd day of November, 2021 as a date on which provision of Major Port Authorities Act, 2021, came into force. Same was published vide Gazette Notification No. S.O. 4504(E) dated 29.10.2021. Accordingly the MPA Act, 2021 came into force w.e.f. 03.11.2021. Ministry, thereafter, constituted the first Board of the Major Port Authorities vide Gazette Notification dated 31.01.2022. Accordingly, the Board of Members of the Mumbai Port Authority vide TR No. 02 dated 15.02.2022 have accorded approval to the change the name of "Mumbai Port Trust" as "Mumbai Port Authority" w.e.f. 31.01.2022 i.e. the date of Gazette Notification.

To comply with above, the Trustees of MbPAPFT vide its Resolution No. 02 dated 12.05.2022, have accorded approval to the change the name of Mumbai Port Trust Pension Fund Trust (MbPTPFT) as Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPAPFT).

Significant Accounting Policies

- (i) The accounting system has been devised with a view to enable presentation of financial transactions of the Fund.
- (ii) The financial statements are prepared under the historical cost convention and on the accrual basis of Accounting. The presentation of accounts is as per the prescribed format specified by C & AG.
- (iii) Investments –
In terms of Accounting Standard 13, information relating to investments viz. aggregate amount of quoted and non-quoted investments (inclusive of investments with LIC), has been disclosed in the schedule III to the Balance Sheet. Investments are valued at cost after taking into consideration the commission and allied items.
- (iv) Revenue Recognition –
 - (a) The interest is accounted on accrual basis.
 - (b) To comply with Rule 89 of Income Tax Rules, 1962 in terms of Board of Trustees Resolution No.48 dated 29.03.2004, LIC of India has been appointed as Fund Manager to manage Pension Fund. Every year Actuarial Pension Liability towards existing and future pensioners is worked out by them. On the basis of such

actuarial liability and in terms of guidelines provided in Mumbai Port Authority (Pension Fund) Regulations, 2004, yearly contribution is made by Mumbai Port Authority to the MbPA Pension Fund Trust (MbPA-PFT). Mumbai Port Authority has contributed in MbPA-PFT an amount of ₹ 565,00,00,000 as investment in LIC and Rs. 33,00,00,000 for disbursement of Pension payments during the F.Y.2021-22. Details are reflected in Schedule I and Income and Expenditure Account.

Notes on Accounts

- I. The Central Government through Ministry of Shipping (Port Wing) conveyed by Notification No. PR-12016/24/2002-PE-I dated 21.05.2004 sanction to Mumbai Port Trust (Pension Fund) Regulation, 2004 which notification published under GSR No. 341(E) in the Gazette of India, Part II, Section 3. Subsection 3(i) dated 21.05.2004. The Mumbai Port Trust Pension Fund Trust came into existence by virtue of Trust Deed executed on 14 January 2004 between the Board of Trustees of Mumbai Port Trust and the Trustees of Pension Fund Trust. The Commissioner of Income Tax Range 12(1), Mumbai by order no. CIT 12/Pension Fund/2003-04 dated 1-3-2004 accorded approval to MbPT Pension fund in terms of powers vested in him under Rule 2(1) of Part B of IV schedule to Income Tax Act, 1961 subject to certain conditions. Ministry by its letter dated 6.4.2004 conveyed its approval to the Trust. The notification has been published in the Govt. Gazette dated 21st May 2004.
- II. By notification bearing No. LB-13022/4/1997-L-IV/DO(I) dated 09.01.2015 issued by Ministry of Shipping (Ports Wing), the Bombay Dock Labour Board has been legally merged with Mumbai Port Trust w.e.f. 01.01.2015. As such, w.e.f. 01.01.2015 pension liability towards Ex-BDLB's existing and future pensioners is borne by MbPT Pension Fund Trust and expenditure towards pension payment has been accounted for in the books of MbPT Pension Fund Trust.
- III. Fund Management by LIC
 - a) LIC is entrusted with the management of Pension Fund. To meet the actuarial liability every year, monies are invested with LIC. Interest on investments with LIC is also retained with LIC. During the year, an amount of ₹ 565,00,00,000 have been invested with LIC. Interest @ 7.79% p.a. amounting to ₹ 677,06,58,593.42 has been received from LIC for F.Y.2021-22. The total investment with LIC is ₹ 8948,20,33,190.84 as on 31.03.2022. The investment as on 31.03.2021 was ₹ 8785,13,74,597.42.

b) Actuarial Valuation

LIC of India has informed the total actuarial liability of ₹ 13323.66 crore as on 31.03.2022 comprising of ₹ 8873.66 crore towards existing pensioners and ₹ 4450.00 crore towards future pensioners (existing employees).

This valuation has been done considering the salary escalation rate @ 6%. Considering the fund balance of ₹. 8955.34 crore as on 31.03.2022, there is a short funding of ₹. 4368.32 crore which will be made up on availability of surplus revenue in coming years.

IV. Withdrawal from accrued interest on Investment of Pension Fund with LIC of India for monthly pension payment.

In view of the dearth cash flow, it has been decided to make monthly pension payment by withdrawing from accrued interest on investment of Pension Fund with LIC. For the F.Y.2020-21, LIC had declared interest rate of 7.70%. Hence, for the F.Y.2021-22 interest rate @ 7.00% was estimated. Considering contribution of ₹. 565,00,00,000 and estimated interest amount of ₹ 615,00,00,000 an amount of ₹.1079,00,00,000 has been withdrawn during the year.

V. As per the provisions of Trust Deed of MbPA-PFT, all the administrative expenses incurred by the Trustees in connection with administration of fund and the audit fees shall be borne by the Board of Trustees of Mumbai Port Authority. Hence, no administrative expenses are shown in the Income & Expenditure Account.

VI. In the Income and Expenditure statement, the interest earned during the year 2021-22 amounting to ₹ 677,22,76,208.42 has been shown at the income side. This includes interest ₹ 677,06,58,593.42 received from LIC and interest on CLTD was ₹ 16,17,615. Similarly amount of Rs. 33,00,00,000 received from MbPA for pension disbursement are shown on income side. The total expenditure of ₹ 1050,97,91,425.75 shown at the expenditure side includes an accrued expenditure of ₹ 218,52,12,121.00 booked towards arrears arising due to Pension Revision, Consolidation & settlement and on account of pension withheld for non-receipt of Life certificates. The deficit of ₹ 340,75,15,217.33 has been charged to the pension fund.


VII. The amount of ₹ 225,53,71,011.75 as sundry debtors mainly on account of transfer of Pension Fund of Ex-BDLB, has been shown under the head 'Current Assets, Loans & Advances'.


VIII. Sundry Debtors reflected under 'Current Assets, loans and Advances' includes ₹ 3,72,93,641.00 due from pensioners as on 31/03/2022 and the recoveries are under process.


IX. During the F.Y.2021-22, there are 204 cases where pension has been withheld for non receipt of the Life Certificates from the concerned pensioners. Such cases aggregating to ₹ 2,06,49,382. The arrears amount due on account of Pension Revision, Consolidation and settlement due to pensioners aggregating to ₹ 214,61,01,492. Similarly, ₹ 1,77,42,895 has been unpaid on account of superannuation dues and ₹ 7,18,352 on accounts of foreign service contributions. All above accrued liability has been booked under the head "The Current Liabilities and Provisions".


X. The details of sources and utilization of funds are as under :-

	Sources	Amount in ₹.
1.	Contribution from MbPA to LIC	565,00,00,000.00
2.	Foreign Service contribution	1,56,56,285.00
3.	Trustees contribution to PF in respect of CPF employees.	13,54,19,063.45
4.	Decrease in current Liabilities	(62,33,50,863.00)
	Total	517,77,24,485.45
	Utilization	
1.	Increase in Investments	165,17,65,158.45
2.	Contribution payment	3,35,20,507.00
3.	Increase in current assets, loans & advances	8,49,23,602.67
4.	Excess of Expenditure over Income (Deficit)	340,75,15,217.33
	Total	517,77,24,485.45


Rajiv Jalota
Chairman


Adesh Titarmare
Dy. Chairman


Capt. Bhabatosh Chand
Secretary
(having Statutory Power of
FA&CAO)


U.R. Mohan Raju
Trustee

(Vacant)
Trustee

(Vacant)
Trustee

**31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के
मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के लेखोंपर भारत के नियंत्रक
तथा महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

हमने नियंत्रक की धारा 19 (2) के लेखा एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971, साथ पढ़ें मुंबई पत्तन (पेंशन फंड) विनियम, 2004 के विनियम, अनुबंध (न्यास डीड) के खंड 13 और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 75 (2) (बी) (एफ) के अंतर्गत मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के 31 मार्च 2022 संलग्न तुलन पत्र और आय और व्यय खाते और प्राप्ति और भुगतान का लेखापरीक्षा की है. ये वित्तीय विवरण न्यास के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं. हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है.

2 इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल लेखा-पद्धति आचरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों का सामवेश है जो सिर्फ वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखा पद्धति, लेखा कार्य प्रणालियों, मानकों की अनुरूपता तथा प्रगटीकरण मानकों आदि के संबंध में है. विधि, नियम तथा विनियम (उपयुक्तता तथा नियमितता) के अनुपालन और सक्षमता-सह निष्पादन पहलू आदि के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा अवलोकन यदि कोई है, जाँच रिपोर्ट/ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए अलग से रिपोर्ट की गई है.

3. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा को है. इन मानकों में हमें वित्तीय विवरण वस्तुगत गलत कथन से मुक्त है. इस संबंधी पर्याप्त विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा नियोजित तथा तामील करना अपेक्षित है. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण और राशियों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए सबूतों की परीक्षण आधारपर जाँच करने का समावेश है. लेखापरीक्षा में उपयुक्त लेखा पद्धति सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के निर्धारण एवं वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति के मुल्यांकन का भी समावेश है. हम विश्वास रखते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती है.

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधारपर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

- (i) हमें सभी जानकारी और स्पष्टिकरण प्राप्त हुए हैं जो हमारे लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए हमारे अधिकतम जानकारी और विश्वास के लिए आवश्यक थे.
- (ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतानों को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(1) के अधीन न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं.
- (iii) हमारी राय में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(1) के अधीन आवश्यकताके अनुसार लेखा यही और अन्य संबंधित रिकार्ड को मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वारा उचित रूप से रखा गया है जहाँ तक ऐसी बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है.

(iv) हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि -

ए) तुलन पत्र

ए.1 पेंशन निधि लेखा और देनदारियां- रु 8955.34 करोड़ (अनुसूची I)
लेखों पर टिप्पणियाँ - मद् III (बी)

न्यास विलेख (14 जनवरी 2004) द्वारा कर्मचारियों तथा भुतपूर्व कर्मचारियों की पेंशन देयता को पूरा करने के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास बनाया गया. भारतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि) को पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए निधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है. भा.जी.बी. नि के द्वारा प्रति वर्ष बीमांकित मुल्यांकन किया जाता है. जिसके आधार पर मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा भा.जी.बी.नि. के पास राशि निवेश की जाती है,

दि. 31-03-2022 के अनुसार बीमांकित मुल्यांकन के अनुसार कुल पेंशन देयता रु. 13323.66 करोड़ (रु. 8873.66 करोड़ वर्तमान पेंशनरों के लिए तथा रु. 4450.00 करोड़ भावी पेंशनरों के लिए) परिकलित की गई है. 31 मार्च 2022 को पेंशन निधि में शेष राशि रु. 8955.34 करोड़ थी. बीमांकित मुल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए निधि शेष में रु. 4368.32 करोड़ की कमी है.

पेंशन देयता के लिये किये गये कम प्रावधान के परिणाम स्वरूप देयताए (पेंशन निधि खाता) तथा परिसंपत्तिया (वर्तमान परिसंपत्तिया, ऋण तथा अग्रिम "मुंबई पत्तन प्राधिकरण से प्राप्य") रु 4368.32 करोड़ तक कम बतायी गयी है.

लेखापरीक्षक, वर्ष 2012-2013 से इस कमी की तरफ इंगित कर रहे है.

ए.2 संपत्तियां

चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची V)
नकद और बैंक शेष: रु.42.04 करोड़

उपरोक्त में कॉरपोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट (सीएलटीडी) खाते से संबंधित रु.6.17 करोड़ शामिल नहीं हैं. केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार, अनुसूचित बैंकों के पास जमाराशियां को चालू संपत्ति शीर्ष के तहत बैंक शेष के तहत दर्शाया जाना है.

इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम निवेशों को रु.6.17 करोड़ की सीमा तक अधिक और वर्तमान परिसंपत्तियों को कम बताया गया है,

बी. सामान्य

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए समान खातों के अनुसार, आय और व्यय खाते के लिए अनुसूची तैयार की जानी चाहिए, हालांकि पेंशन निधि न्यास ने इसके लिए कोई अनुसूची तैयार नहीं की थी यह बिंदु वर्ष 2020-21 के लेखा लेखा परीक्षा के दौरान उठाया गया था और प्रबंधन पत्र के माध्यम से जारी किया गया. यद्यपि प्रबंधन ने वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में इसका अनुपालन करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया है

सी. प्रबंधन पत्र

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है उसे उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किये गये प्रबंधन पत्र के माध्यम से न्यास के ध्यान में लाया गया है.

(v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारे अवलोकनों के अधीन हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे, लेखा बहियों के अनुरूप है.

(vi) हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टिकरणों के अनुसार लेखा नितियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पठित उपरोक्त वित्तीय विवरण तथा उपरोक्त बताये गए महत्वपूर्ण मामलों के अधीन और अनुलग्नक-1 में उल्लेखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा स्पष्ट चित्र दर्शाते हैं.

(ए) जहाँ तक यह 31 मार्च 2022 को मुंबई पतन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास को स्थिती के अनुसार तुलन-पत्र से संबंधित है; और

(बी) जहाँ तक यह उस दिन को समाप्त वर्ष के घाटे के आय और व्यय लेखा से संबंधित है.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक के लिए और की ओर से

हस्ता/-

(पी.वी. हरि कृष्णा)

प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा (नौवहन),

मुंबई

स्थान: मुंबई,

दिनांक : 11 अक्टूबर 2022

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2021-22 के लिए मुंबई पतन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास (एमबीपीएपीएफटी) की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है. (जून 2022 में)

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ करने की आवश्यकता है क्योंकि बैंक समाधान विवरण की समीक्षा से संकेत मिलता है कि:

(ए) बैंक बैलेंस (₹42.05 करोड़) 13 चेकों के संबंध में ₹0.02 करोड़ की कटौती के बाद था, जो अप्रैल 2006 से जारी किए गए थे और 31/3/2022 को 3 महीने से अधिक पुराने थे. इसे रद्द नहीं किया गया है और इसे वापस लिखा गया है. इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.02 करोड़ की सीमा तक नकद और बैंक शेष को कम बताया गया है.

(बी) बैंक बैलेंस (₹42.05 करोड़) में अप्रैल 2006 से बैंक में जमा ₹0.71 करोड़ की राशि भी शामिल है, लेकिन 31.03.2022 तक बैंक द्वारा जमा नहीं की गई। इसके कारण ₹ 0.71 करोड़ की सीमा तक नकद और बैंक शेष को अधिक बताया गया है.

(सी) इसके अलावा, बैंक बैलेंस में शामिल नहीं था

(i) ₹180.81 करोड़ बैंक द्वारा जमा किए गए परंतु मुंबई पतन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वारा हिसाब में नहीं दिखाया गया.

(ii) ₹130.31 करोड़ बैंक द्वारा नामे डाले गयी परंतु मुंबई पतन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वारा हिसाब में नहीं दिखाया गया.

यद्यपि बैंक खातों में उपरोक्त कमियों को 2014-15 से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया जा रहा है और प्रबंधन ने कहा कि बैंक समाधान विवरण में असमाधानित मदों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे थे, सुधारात्मक कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है

3. अचल परिसंपत्तियाँ के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

चुकी मुंबई पतन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के पास अचल परिसंपत्तियाँ नहीं है इसलिए अचल परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन लागू नहीं

4. मालसुची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली :

चुकी मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के पास माल सुची नहीं है इसलिए माल सुची का वास्तविक सत्यापन लागू नहीं है.

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान की नियमितता:

चुकी मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के सांविधिक देय राशि का भुगतान मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया है अतः वह लागू नहीं है.

स्थान : मुंबई

दिनांक : 11 अक्टूबर 2022

हस्ता/-

उपनिदेशक

**SEPARATE AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF THE MUMBAI PORT
AUTHORITY PENSION FUND TRUST FOR THE YEAR ENDED
31 MARCH 2022**

We have audited the attached Balance Sheet of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust as at 31 March 2022 and the Income & Expenditure Account and Receipt & Payment Account for the year ended 31 March 2022 under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Services) Act 1971, read with Regulation 4 of the Mumbai Port Trust (Pension Fund) Regulations, 2004, clause 13 of the Annexure (Trust deed) and section 75 (2) (b) (f) of Major Port Authorities Act, 2021. These financial statements are the responsibility of the Trust's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, is reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
 - (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - (ii) The Balance Sheet and Profit & Loss Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Board under Section 44(1) of the Major Port Authority Act, 2021;
 - (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Mumbai Port Authority required under Section 44(1) of the Major Port Authority Act, 2021 in so far as it appears from our examination of such books

(iv) We further report that:

A) Balance Sheet

**A.1 Pension Fund Account and Liabilities – ₹8955.34 crore (Schedule I)
Notes on Accounts – Item III-b**

Mumbai Port Authority Pension Fund Trust was formed vide a Trust Deed (14 January 2004) to meet the pension liability of employees and ex-employees. Life Insurance Corporation (LIC) has been appointed as the Fund Manager to manage the Pension Fund. LIC does the actuarial valuation every year based on which the money has to be invested by the Trust with LIC.

The total pension liability as per actuarial valuation as on 31.03.2022 as intimated by LIC was ₹13323.66 crore (₹8873.66 crore towards existing pensioners and ₹4450.00 crore towards future pensioners). Against this, the pension fund balance as on 31 March 2022 was ₹8955.34 crore. Considering the Actuarial Valuation Report, there is a shortfall of ₹4368.32 crore in the Fund Balance.

The shortfall has resulted in understatement of liabilities (Pension Fund Account) and Assets (Current Assets, Loans and Advances – “Receivable from Mumbai Port Trust”) to the extent of ₹4368.32 crore.

Audit has been pointing out the shortfall in provisioning for the pension liability since 2012-2013.

A.2 Assets

Current Assets, Loans and Advances (Schedule V)

Cash and Bank Balances: ₹42.04 crore

The above does not include ₹6.17 crore pertaining to Corporate Liquid Term Deposit (CLTD) account. As per Uniform format of accounts for Central Autonomous Bodies, Deposits with Scheduled Banks are to be depicted under Bank Balances under the head Current Assets-Current Assets, Loans and Advances.

This has resulted in overstatement of Investments and understatement of Current assets, Loans and Advances to the extent of ₹6.17 crore.

B. General

As per Uniform Accounts for Central Autonomous Bodies, Schedule for the Income and Expenditure Account should be prepared, however Pension Fund Trust did not prepare any Schedule for the same. This point was raised during the accounts audit for the year 2020-21

and issued by way of Management letter. Though Management assured to comply with the same in the financial statements for the year 2021-22, it has not been complied with.

C) Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Trust through a Management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India,

- (a) In so far as it relates to Balance Sheet, of the state of affairs of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust as at 31 March 2022; and
- (b) In so far as it relates to Income and Expenditure Account, of the Deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India



(P.V. Hari Krishna)
Principal Director of Audit (Shipping),
Mumbai

Place: Mumbai

Date: 11 October 2022

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System:

The Internal Audit of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPA PFT) for the year 2021-22 is under process (in June 2022).

2. Adequacy of Internal Control System:

Internal control system requires strengthening as a review of the Bank Reconciliation statement indicated that:

(a) The Bank Balance (₹42.05 crore) was after deducting ₹0.02 crore in respect of 13 cheques which were issued since April 2006 and were more than 3 months old as at 31.03.2022. The same have not been cancelled and written back. This has resulted in understatement of cash and bank balance to the extent of ₹0.02 crore.

(b) The Bank Balance (₹42.05 crore) also includes an amount of ₹0.71 crore deposited in the Bank since April 2006 but not credited by bank till 31.03.2022. This has led to overstatement of cash and bank balance to the extent of ₹0.71 crore.

(c) Further, the Bank Balance did not include

(i) ₹180.81 crore credited by bank but not accounted by MbPA-PFT

(ii) ₹130.31 crore debited by bank but not accounted by MbPA-PFT

Though the above deficiencies in Bank accounts are being pointed out by Audit since 2014-15 and Management stated that efforts were being taken to clear the un-reconciled items in the Bank reconciliation statement, corrective action is yet to be completed.

3. System of Physical verification of Fixed Assets:


Physical Verification of Fixed Assets is not applicable to MbPA-PFT as MbPA-PFT does not have Fixed Assets.

4. System of Physical verification of Inventory:

Physical Verification of Inventory is not applicable to MbPA-PFT as MbPA-PFT does not have Inventory.

5. Regularity in payment of statutory dues:

Statutory dues of MbPA PFT were paid by Mumbai Port Authority and hence not applicable.


Deputy Director

Place: Mumbai

Date: 11 October 2022.

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के मुंबई पतन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के लेखों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई की टिप्पणियाँ
ए. तुलन पत्र	
ए.1 पेंशन निधि लेखा और देनदारियां- रु 8955.34 करोड़ (अनुसूची I) लेखों पर टिप्पणियाँ - मद् III (बी)	
<p>न्यास विलेख (14 जनवरी 2004) द्वारा कर्मचारियों तथा भुतपूर्व कर्मचारियों की पेंशन देयता को पूरा करने के लिए मुंबई पतन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास बनाया गया. भारतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि) को पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए निधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है. भा.जी.बी. नि के द्वारा प्रति वर्ष बीमांकित मुल्यांकन किया जाता है. जिसके आधार पर मुंबई पतन प्राधिकरण द्वारा भा.जी.बी.नि. के पास राशि निवेश की जाती है.</p> <p>दि. 31-03-2022 के अनुसार बीमांकित मुल्यांकन के अनुसार कुल पेंशन देयता रु. 13323.66 करोड़ (रु. 8873.66 करोड़ वर्तमान पेंशनरों के लिए तथा रु. 4450.00 करोड़ भावी पेंशनरों के लिए) परिकलित की गई है. 31 मार्च 2022 को पेंशन निधि में शेष राशि रु. 8955.34 करोड़ थी. बीमांकित मुल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए निधि शेष में रु. 4368.32 करोड़ की कमी है.</p> <p>पेंशन देयता के लिये किये गये कम प्रावधान के परिणाम स्वरूप देयताए (पेंशन निधि खाता) तथा परिसंपत्तिया (वर्तमान परिसंपत्तिया, ऋण तथा अग्रिम "मुंबई पतन प्राधिकरण से प्राप्य") रु 4368.32 करोड़ तक कम बतायी गयी है.</p> <p>लेखापरीक्षक, वर्ष 2012-2013 से इस कमी की तरफ इंगित कर रहे हैं.</p>	<p style="text-align: center;">वास्तविक</p> <p>यह सत्य है कि दि. 31-03-2022 बीमांकित के अनुसार बीमांकित मुल्यांकन तथा पेंशन निधि के निधि शेष में रु 4368.32 करोड़ की कमी है. प्रत्येक वर्ष फंड के लिए मुंबई पतन प्राधिकरण की बीमांकित मुल्यांकन और उपलब्ध अधिशेष से अशंदा न किया जाता की गई है.</p> <p>मुंबई पतन प्राधिकरण की जमीन के मुद्रीकरण का प्रस्ताव किया है और जमीन की मद्रीकरण से उत्पन्न रु. धनराशि (वित्त) से पेंशन निधि की कमी को पेंशन पुरा किया जाएगा. यह आशा की जाती है कि इस अंतर को आगामी वर्षों में पुरा कर लिया जाएगा. कुल संरक्षित धन रु 1082.88 करोड़ मानते हुए मुंबई पतन प्राधिकरण लाभ हाना खात का को पुरा करने में असमर्थ है और 31-03-2022 की दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ है.</p> <p>इसके संबंध में, यह भी स्वीकार किया जाता है कि पेंशन का दायित्व आवृत्ति प्रवृत्ति का है और वास्तविक दायित्व भा.जी.बी.नि की द्वारा निश्चित वित्तीय वर्ष के लिए नहीं है. इसीलिये किसी भी</p>

	<p>निश्चित वर्ष में उपलब्ध नहीं किया जाता है. यह भी आपके स्वीकृती के लिए है की समझौते मे कोई विशेष सीमा नहीं है कि कब तक अशंदांन को पुरा करने की आवश्यकता है.</p> <p>इस प्रकार, वर्ष 2021-22 के लिए वर्तमान दायित्व ,ऋण तथा अग्रिम को कम तथा हानि/घाटे को अधिक बताया नहीं गया है.</p> <p>मुंबई पतन प्राधिकरण निधि न्यास के साथ-साथ मुंबई पतन प्राधिकरण के खातों की पुस्तकों की टिप्पणियों में फंड की कमी का उचित प्रकटीकरण किया गया है.</p>
<p>ए.2 परिसंपत्तियां चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची V) नकद और बैंक शेष: ₹.42.04 करोड़</p>	
<p>उपरोक्त में कॉरपोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट (सीएलटीडी) खाते से संबंधित ₹. 6.17 करोड़ शामिल नहीं हैं. केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार, अनुसूचित बैंकों के पास जमाराशियों को चालू संपत्ति शीर्ष के तहत बैंक शेष के तहत दर्शाया जाना है.</p> <p>इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम निवेशों को ₹. 6.17 करोड़ की सीमा तक अधिक और वर्तमान परिसंपत्तियों को कम बताया गया है.</p>	<p>लेखा परीक्षण अवलोकन अनुपालन के लिए नोट किया गया है.</p> <p>जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाया गया है, कॉरपोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट (सीएलटीडी) को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुंबई पतन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के वार्षिक खातों में चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम शीर्ष के तहत बैंक शेष के तहत दिखाया जाएगा.</p>
<p>बी. सामान्य</p>	
<p>केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए समान खातों के अनुसार, आय और व्यय खाते के लिए अनुसूची तैयार की जानी चाहिए, हालांकि पेंशन निधि न्यास ने इसके लिए कोई अनुसूची तैयार नहीं की थी यह बिंदु वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षा के दौरान उठाया गया था और प्रबंधन पत्र के माध्यम से जारी किया गया. यद्यपि प्रबंधन ने वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में इसका अनुपालन करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया है.</p>	<p>अनुपालन के लिए नोट किया गया है.</p> <p>जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाया गया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे.</p>

अनुलग्नक

अनु क्र.	लेखापरीक्षा अवलोकन	टिप्पणियाँ
1.	<p>आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता</p> <p>वर्ष 2021-22 के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास (एमबीपीए पीएफटी) की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है. (जून 2022 में)</p>	<p>मेसर्स एच. के. पंडा और कंपनी द्वारा मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास की वर्ष 2021-22 हेतु अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई. परीक्षक की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 05-08-2022 को परीक्षण को प्रस्तुत की थी.</p>
2.	<p>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता</p> <p>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ करने की आवश्यकता है क्योंकि बैंक समाधान विवरण की समीक्षा से संकेत मिलता है कि:</p> <p>(ए) बैंक बैलेंस (रु.42.05 करोड़) 13 चेकों के संबंध में रु. 0.02 करोड़ की कटौती के बाद था, जो अप्रैल 2006 से जारी किए गए थे और 31/3/2022 को 3 महीने से अधिक पुराने थे. इसे रद्द नहीं किया गया है और इसे वापस लिखा गया है. इसके परिणामस्वरूप रु. 0.02 करोड़ की सीमा तक नकद और बैंक शेष को कम बताया गया है.</p> <p>(बी) बैंक बैलेंस (रु. 42.05 करोड़) में अप्रैल 2006 से बैंक में जमा रु.0.71 करोड़ की राशि भी शामिल है, लेकिन 31.03.2022 तक बैंक द्वारा जमा नहीं की गई। इसके कारण रु. 0.71 करोड़ की सीमा तक नकद और बैंक शेष को अधिक बताया गया है.</p> <p>(सी) इसके अलावा, बैंक बैलेंस में शामिल नहीं था</p> <p>(i) रु.180.81 करोड़ बैंक द्वारा जमा किए गए परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वारा हिसाब में नहीं दिखाया गया.</p>	<p>बैंक समाधान विवरण में असमाधानित मर्दों को समाशोधित करने का प्रयास किया जा रहा है.</p>

	<p>(ii) रू.130.31 करोड़ बैंक द्वारा नामे डाले गयी परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वारा हिसाब में नही दिखाया गया.</p> <p>यद्यपि बैंक खातों में उपरोक्त कमियों को 2014-15 से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया जा रहा है और प्रबंधन ने कहा कि बैंक समाधान विवरण में असमाधानित मदों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे थे, सुधारात्मक कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है.</p>	
3.	<p>अचल परीसंपत्तियाँ के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली</p> <p>चुकी मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के पास अचल परीसंपत्तियाँ नही है इसलिए अचल परीसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन लागू नही है.</p>	वास्तविक
4.	<p>मालसुची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली:</p> <p>चुकी मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के पास माल सुची नही है इसलिए माल सुची का वास्तविक सत्यापन लागू नही है.</p>	वास्तविक
5.	<p>सांविधिक देय राशि के भुगतान की नियमितता:</p> <p>चुंकि मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के सांविधिक देय राशि का भुगतान मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया है अतः वह लागू नही है.</p>	वास्तविक

**ACTION TAKEN NOTES ON SEPARATE AUDIT REPORT OF COMPTROLLER AND
AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF MUMBAI PORT AUTHORITY
PENSION FUND TRUST FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022.**

Audit Observations	Action taken notes
A) Balance Sheet	
A.1 Pension Fund Account and Liabilities Rs.8955.34 crore (Schedule I) Notes on Accounts - Item III-b	
<p>Mumbai Port Trust Pension Fund Trust was formed vide a Trust Deed (14 January 2004) to meet the pension liability of employees and ex-employees. Life Insurance Corporation (LIC) has been appointed as the Fund Manager to manage the Pension Fund. LIC does the actuarial valuation every year based on which the money has to be invested by the Trust with LIC.</p> <p>The total pension liability as per actuarial valuation as on 31.03.2022 as intimated by LIC was ₹13323.66 crore (₹8873.66 crore towards existing pensioners and ₹4450.00 crore towards future pensioners). Against this, the pension fund balance as on 31 March 2022 was ₹8955.34 crore. Considering the Actuarial Valuation Report, there is a shortfall of ₹4368.32 crore in the Fund Balance.</p>	<p>It is a fact that as on 31.03.2022, there is a shortfall of ₹ 4368.32 crore between Actuarial liability and the Fund balance of Pension Fund. Every year contribution is made to the funds on the basis of actuarial valuation and surplus available with MbPT. Sincere efforts are made to augment the Fund.</p> <p>The proposal of monetization of Land of MbPT is being pursued and the revenue generated from leasing of Land will be utilized to bridge the short funding in Pension Fund. It is expected to meet the gap in coming few years. Considering the total Reserves of ₹ 1082.88 crore, only. MbPT is not in position to charge the shortfall to Profit and Loss account and to provide the accrued liability as on 31.03.2022.</p> <p>In this connection, It is also pertinent to point out that Pension liability is of recurring nature and the actuarial liability worked out by LIC is not for a particular financial year hence cannot be provided for in any particular year. It is also for your consideration that there is no specific deadline in</p>

<p>The shortfall has resulted in understatement of liabilities (Pension Fund Account) and Assets (Current Assets, Loans and Advances - "Receivable from Mumbai Port Trust") to the extent of ₹4368.32 crore.</p> <p>Audit has been pointing out the shortfall in provisioning for the pension liability since 2012-2013.</p>	<p>the agreement within which the contribution needs to be complete.</p> <p>It may also be noted that during the year, the shortfall in the actuarial valuation and the corpus has reduced by 2.40%. As a matter of fact, the corpus has increased by Rs. 165.67 crores during the year. These are result of efforts taken during the year.</p> <p>As such, there is no understatement of current Liability and overstatement of loss/deficit for the year 2021-22. Due disclosure has been made in the Notes regarding the short funding in the books of the accounts of Pension Fund Trust as well as Mumbai Port Trust.</p>
<p>A.2 Assets</p>	
<p>Current Assets, Loans and Advances (Schedule V) Cash and Bank Balances : ₹ 42.04 crore</p>	
<p>The above does not include ₹ 6.17 crore pertaining to Corporate Liquid Term Deposit (CLTD) account. As per Uniform format of accounts for Central Autonomous Bodies, Deposits with Scheduled Banks are to be depicted under Bank Balances under the head Current Assets- Current Assets, Loans and Advances.</p> <p>This has resulted in overstatement of Investments and understatement of Current assets, Loans and Advances to the extent of ₹ 6.17 crore.</p>	<p>The Audit observation is noted for compliance.</p> <p>As suggested by Audit, Corporate Liquid Term Deposits (CLTDs) will be shown under Bank Balances- under the head Current Assets, Loans and Advances in the Annual Accounts of MbPA-PFT for the F. Y. 2022-23.</p>

B. General	
<p>As per Uniform Accounts for Central Autonomous Bodies, Schedule for the Income and Expenditure Account should be prepared, however Pension Fund Trust did not prepare any Schedule for the same. This point was raised during the accounts audit for the year 2020-21 and issued by way of Management letter. Though Management assured to comply with the same in the financial statements for the year 2021-22, it has not been complied with.</p>	<p>Noted for compliance.</p> <p>As suggested by the Audit, necessary changes will be made in the Annual Accounts for the F. Y. 2022-23.</p>

Annexure

Sr. No.	Audit Observations	Comments
1.	<p>Adequacy of Internal Audit System</p> <p>The Internal Audit of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPA PFT) for the year 2021-22 is under process (in June 2022).</p>	<p>The Internal Audit of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust for the year 2021-22 was conducted by a M/s. H.K. Panda & Co.. The Internal Audit Report was submitted for Audit on 05.08.2022.</p>
2.	<p>Adequacy of Internal Control System</p> <p>Internal control system requires strengthening as a review of the Bank Reconciliation statement indicated that:</p> <p>(a) The Bank Balance (₹42.05 crore) was after deducting ₹0.02 crore in respect of 13 cheques which were issued since April 2006 and were more than 3 months old as at 31/3/2022. The same have not been cancelled and written back. This has resulted in understatement of cash and bank balance to the extent of ₹0.02 crore.</p> <p>(b) The Bank Balance (₹42.05 crore) also includes an amount of ₹0.71 crore deposited in the Bank since April 2006 but not credited by bank till 31.03.2022. This has led to overstatement of cash and bank balance to the extent of ₹0.71 crore.</p> <p>(c) Further, the Bank Balance did not include</p> <p>(i) ₹180.81 crore credited by bank but not accounted by MbPA-PFT</p> <p>(ii) ₹130.31 crore debited by bank but not accounted by MbPA-PFT</p>	<p>The efforts are being taken to clear the un-reconciled items in the Bank reconciliation statement.</p>

	<p>Though the above deficiencies in Bank accounts are being pointed out by Audit since 2014-15 and Management stated that efforts were being taken to clear the un-reconciled items in the Bank reconciliation statement, corrective action is yet to be completed.</p>	
3.	<p>System of Physical verification of Fixed Assets</p> <p>Physical Verification of Fixed Assets is not applicable to MbPA PFT as MbPA PFT does not have Fixed Assets.</p>	Factual
4.	<p>System of Physical verification of inventory</p> <p>Physical Verification of Inventory is not applicable to MbPA PFT as MbPA PFT does not have Inventory.</p>	Factual
5.	<p>Regularity in payment of statutory dues</p> <p>Statutory dues of MbPA PFT were paid by Mumbai Port Authority and hence not applicable.</p>	Factual

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास

परित्याग

वित्तीय वर्ष 2021-22 के मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के वार्षिक लेखों, उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विहित लेखापरीक्षा आपत्तियों / अवलोकनों पर की गयी कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ केवल जानकारी के लिए अंग्रेजी मूल का अनुवाद है. किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी मूल प्रभावी होगा.

MUMBAI PORT AUTHORITY PENSION FUND TRUST

DISCLAIMER

The Hindi version of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust Annual Accounts for Financial Year 2021-22, Audit report thereon together with Action Taken Notes on Audit Objections/Observation contained in Audit Report Financial Year 2021-22 is a translation of the original in English for information purpose only. In case of the discrepancy, the English original will prevail.

